"R.T.D.C." • Phone : 02937-284224 • e-mail : barr@rtdc.in

RTDC MOTEL BARR

(A Unit of Raj. Tourism Development Corpn. Ltd.)

NO. 239

Date :- 26-03-25

"NOTICE INVITING TENDER"

RTDC Motel Barr.Beawar invites tender/bid under Rajasthan Transparency in public Pracurement act,2012 & Rules, 2013 for toffee chocolate counter, RTDC Motel Barr on Monthly License Fee basis for five years through experienced, technically and financially sound & reputed bidders fulfilling eligibility criteria through tendering system as described in the bid document as detailed below :-

S.NO.	Name of Counter	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee
01	Toffe chocolate	Rs.05.40 Lac	Rs.10800/-	Rs.590/-

Important dates for downloading and sumitting the e-tendetr are as follows:-

Date and time of submission of bid	Upto 09/04/2025
Date and time of on-line opening of Prequalification/Technical Bid/Financial Bid.	09/04/2025 04:00 PM
Place of Opening Bids address is:	RTDC Motel barr Beawar,
Officer Inviting Bids	Unit INCHARGE,RTDC Motel barr Beawar,
Contact details	9460605588
Earnest Money to be deposited during period at place. EMD, Tender Fees,physical document as per general terms & conditions.	During office hours from 10 AM to 05 PM UPTO 09/04/2025 Unit Incharge

[signature]

Unit Incharge
Motel Barr.Beawar

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि० जयपुर

मोटल बर (ब्यावर)

निविदाप्रपत्र भाग - एक

1 ईकाई जहा का काउंटर / स्थल लेना है :- मोटल बर (ब्यावर)

2 काउंटर का नाम जो चाहता है :- टॉफी चोकलेट काउंटर

3 निविदादाता का नाम :...

4 पिता / पति का नाम :-...

5 पत्र व्यवहार हेतु पता :...
....
....

6 मूल निवास ग्राम.................. तहसील.................. जिला..................

7 राशन कार्ड संख्या व् नाम.. क्रम संख्या.................. उम्र.................. टेलीफ़ोन / मोबाईल नंबर.................. (मूल निवास / स्थानीय पते हेतु मतदाता पहचान पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनात्मक जारी / निवास प्रणाम - पत्र की सत्यापित प्रति सलंगन करे

8 पूर्व में काउंटर कहाँ संचालित किया 1 2 3 4

9 क्या पूर्ण अवधि तक संचालित किया हाँ/नहीं (यदि नही तो कारण) .... .सम्बन्धित ईकाई प्रबंधक से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

10 यदि निविदादाता फर्म कंपनी है तो संबधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ सलंगन करे ।

अ. फर्म का रजिस्टर नाम..

ब. फार्म कहाँ रजिस्टर है:-..

स.अन्य सहयोगी का नाम :-..

द.बैंकर्स नाम:- ....

य.बैंक खाता संख्या:-..

11 धरोहर राशि विवरण :-

अ. राशि जमा कराई..................

ब. रसीद संख्या.................. दिनांक..................

12 टेन्डर भरने की दिनांक:-...................................

निविदादाता के हस्ताक्षर :-..................

निविदादाता का नाम :-..................

पत्राचार का पूर्ण पता :-..................

1. लिफफें पर काउंटर का नाम व् नम्बर व् ईकाई का नाम बीच में लिखे ।
2. निविदादाता का नाम मय पूर्ण पता एक कोने में साफ़ अक्षरों में लिखे सबसे उपर निविदा प्रपत्र भाग एक लिखे ।
3. फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो ।

MANAGER
R.T.D.C. LTD.
MIDWAY, BAR (BEAWAR)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि० जयपुर

मोटल बर (ब्यावर)

निविदाप्रपत्र भाग - दो

1 ईकाई का नाम : मोटल बर (ब्यावर)

2 काउंटर का नाम :- टॉफी चोकलेट काउंटर

3 निविदादाता का नाम :-..

4 पिता / पति का नाम :-..

5 स्थानीय पता :-..

....

....

6 पत्र व्यवहार हेतु पता :-..

....

....

7 निगम व्दारा निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फ़ीस रुपये..............................प्रतिमाह

(अक्षरों में..)

8 निविदादाता व्दारा प्रस्तावित प्रतिमाह लाइसेंस फ़ीस रुपये..)

(अक्षरों में..)

मैंने निविदा सम्बन्धी समस्त शर्ते पढ़ ली है एवं मुझे उसकी समस्त शर्ते मान्य है |मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्य प्रपत्र एक एवं दो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है | यदि कोई जानकारी गलत साबित हुई तो मेरे टेण्डरफार्म को निरस्त कर दिया जावें व् निगम को टेण्डर के क्रम में मेरी समस्त जामा राशि जब्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिये मुझे कोई आपति नहीं होगी |

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदादाता

1. लिफफें पर काउंटर का नाम व् नम्बर व् ईकाई का नाम बीच में लिखे |
2. निविदादाता का नाम मय पूर्ण पता एक कोने में साफ़ अक्षरों में लिखे सबसे उपर निविदा प्रपत्र भाग दो लिखे |
3. फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो |

MANAGER
R.T.D.C. LTD.
MIDWAY, BAR (BEAWAR)

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 590/-

निविदाप्रपत्र

मोटल बर, (ब्यावर)

(राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि० के अधीन संचालित)

टॉफी चोकलेट काउंटर हेतु आवेदन पत्र"

मोटल बर, (ब्यावर)

निविदा के नियम व् शर्ते

मोटल बर, (ब्यावर) के परिसर में स्थित निर्धारित स्थल पर उक्त काउंटर जहाँ है जैसी स्थिति में निम्न शर्तो पर देने हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है |

निविदा शर्ते निम्न प्रकार है :-

1. वर्णित काउंटर / स्थल जैसा है, वैसा ही दिया जावेगा |
2. यदि किसी निविदादाता की निगम में धरोहर राशि या प्रतिभूति राशि पूर्व में जमा है तो इस निविदा के लिए मान्य नहीं होगी |
3. धरोहर राशि केवल बैंक, ड्राफट्स / नगद के रूप में जमा करानी होगी | बैंकड्राफ्ट्स,ईकाई प्रभारी मोटल बर के नाम होना चाहिए |
4. काउंटर / स्थल निविदा लेने से पूर्व मोटल बर में जाकर देखा जा सकता है |
5. होटल द्वारा परिसर में कहीं भी निर्माण कार्य कराया जाता है तो लाइसेंसी को कोई आपति का अधिकार नहीं होगा |
6. एक बार काउंटर आवंटित होने के पश्चात काउंटरस्थल, आइटम व् काउंटर का क्षेत्रफल, माप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा |
7. बोलीदाताफर्म को होटल / रेस्टोरेंट व्यवसाय का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है | इस हेतु कार्यानुभव स्वंय प्रमाणित पत्र सलंगन करे |
8. निविदाये दो लिफाफे में अलग- अलग लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी प्रपत्र "एक" एवं वित्तीय प्रपत्र "दो" माय काउंटर का नाम होना चाहिए एवं निविदा भरने वाले का नाम पूर्ण पता भी लिखा जावें | प्रथम लिफाफे, में प्रपत्र "एक"(जिसका प्रपत्र सलंगन है) को पहले खोला जावेगा यदि तकनिकी रूप से सफल निविदादाता के ही प्रपत्र "दो"जिसमे वितीय प्रस्ताव निविदा प्रपत्र खोला जावेगा |
9. जिन पार्टियों को पूर्व में निगम द्वारा "अयोग्य करार"दिया गया है उनकी निविदाये मान्य नहीं होगी | यदि अयोग्य करार निविदा द्वारा काउंटर लेना पाया गया तो आवंटन निरस्त करे खालीं करवाया जा सकेगा एवं जमा राशि भी जब्त की जावेगी | सशर्त निविदा अमान्य होगी एवं सशर्त निविदा निरस्त कर दी जावेगी व् निगम अन्य

P.T.O.

MANAGER
R.T.D.C. LTD.
MIDWAY, BAR (BEAWAR)

पार्टी (निविदादाता)को काउंटर देने हेतु स्वतन्त्र होगा |

10. निविदा में अधिकतम राशि अंकित करने वाली पार्टी से निविदा खुलने पर लाइसेंस फीस की अधिकतम राशि का तीन माह के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी | निविदा के साथ धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि में समायोज्य है पार्टी को काउंटर प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में ईकाई स्तर पर ही निर्धारित अनुबन्ध करना होगा | अनुबन्ध का व्यय पार्टी द्वारा वहन किया जावेगा |लाइसेंसी को लाइसेंस पूर्ण अवधि के समस्त अग्रिम चैक ईकाई में जमा करने होंगे | यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी निविदा रद्द कर उसकी जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा अन्य निविदाओ पर विचार करने के लिए निगम स्वतन्त्र होगा | प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा |
11. असफल निविदाओं को अमानत राशि सफल निविदादाताओं के नियमानुसार काउंटर आवंटन प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम समस्त चैक जमा करने एवं अनुबन्ध करने के उपरान्त ही जमा की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही लोटाई जायेगी | अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा
12. न्यूनतम लाइसेंस फ़ीस 9000/-रुपये प्रतिमाह +जीएसटी निर्धारित करते हुए लाइसेंस अवधि पांच वर्ष के लिये होगी व् एक वर्ष पश्चात् प्रति वर्ष लाइसेंस फ़ीस में 10 प्रतिशत की बढोतरी की जावेगी |
13. निविदादाताओं को यह प्रमाण पत्र सलंगन करना होगा की निगम कोई राशि बकाया नहीं है तथा यदि पाया जावे तो निविदा निरस्त कर जमा राशि जब्त ली जावेगी व् निगम अन्य निविदादाताओ को काउंटर देने हेतु स्वतन्त्र होगा |
14. जना प्रतिभूति राशि को काउंटर की अवधि समाप्त से 3 माह पूर्व लाइसेंस फीस से समायोजित नहीं किया जावेगा | संबधित ईकाई प्रभारी द्वारा अनापत्ति पत्र देने पर यह राशि बिना ब्याज लोटाई जावेगी |
15. किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र केवल जयपुर शहर होगा |
16. इस निविदा के क्रम में कोई भी विवाद होने पर उसका निर्णय निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा किया जावेगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा |
17. किसी भी निविदा को पूर्णतया या अशंत: निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा |
18. एक आईटम के लिये एक से अधिक काउंटर आवंटित करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा |
19. यदि लाइसेंसी काउंटर निर्धारित अवधि से पूर्व बीच अवधि में छोड़ता है तो उसकी समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी एवं लाइसेंसी को दो माह का नोटिस देना होगा या नोटिस के एवज दो माह लाइसेंस फीस जमा करानी होगी |

P.T.O.

MANAGER
R.T.D.C. LTD.
MIDWAY, SAR (BEAWAR)

20. काउंटर पर विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का विक्रय मूल्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे ताकि पर्यटक मूल्य को लेकर भ्रमित नहीं हों |
21. किसी भी आइटम का विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक नहीं होगा |
22. काउंटर पर काउंटर से सम्बंधित आइटम के अतिरिक्त अन्य आइटम नहीं रखे जायेंगे और न ही विक्रय किये जायेंगे |
23. काउंटर के बाहर कोई सामान नहीं रखा जायेगा |
24. अनाधिकृत / अवांछित तत्वों को काउंटर पर प्रवेश नहीं देंगे |
25. व्यापार के सामान्य नियम / कायदों का पालन करेंगे |
26. व्यापार के लिये उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करेंगे | कार्यरत कार्मिकों की इपीएफ,इएसआई,समस्त श्रमिक विधियों की पालना एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी (निविदादाता) की होगी
27. सामान उच्च गुणवता की रखंगे | बिक्री किये गए सामान से किसी पर्यटक/ ग्राहक की शारीरिक एवं मानसिक परेशानी, कष्ट होगा तो उसके लिए निविदादाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा | एवं समस्त हर्जे / खर्चे के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा |
28. काउंटर धारियों को काउंटर पर काउंटर्स नाम को स्पष्ट रूप नेम प्लेट बनवा कर डिस्पले करना होगा इसमें काउंटरधारी को अपना एक कार्यरत स्टाफ का भी विवरण लिखना होगा |काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों की युनिफर्म ईकाई प्रभारी व् लाइसेंसी द्वारा तय करेंगे तथा प्रत्येक कर्मी नेम प्लेट लगायेंगे | इसका व्यय लाइसेंसी (निविदादाता) द्वारा किया जावेगा |
29. लाइसेंस फीस के अतिरिक्त अन्य देय समस्त कर दायित्व तथा सेवा कर शिक्षा उपकर आदि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार लागू किये जाने वाले वर्तमान भूतलक्षी ,भविष्यलक्षी समस्त करो एवं अन्य राजकीय दायित्व का भुगतान लाइसेंसी (निविदादाता) द्वारा किया जाएगा | समस्त कर दायित्व लाइसेंसी फीस से अतिरिक्त होंगे | करो का दायित्व लाइसेंसी का ही होगा एवं भुगतान भी लाइसेंसी द्वारा किया जायेगा |
30. राजकीय नियमो में वस्तुओ की बिक्री का बिल देना अनिवार्य है उन वस्तुओ के ग्राहको का बिल GST बिल जारी करना होगा एवं वाणिज्यकर विभाग का GST टिन नंबर लेना अनिवार्य होगा |
31. काउंटर पर रखे जाने वाले कर्मचारियों का पूर्ण विवरण स्थानीय पुलिस थाने में सत्यापन भी लाइसेंसी (निविदादाता) द्वारा करवाया जायेगा |
32. कर्मचरियों के परिचय पत्र जारी किये जाये जिस पर काउंटर धारक एवं ईकाई प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे | परिचय पत्र का खर्चा लाइसेंसी (निविदादाता) व्यय करेगा |
33. निगम ईकाई के किसी भी भाग में राजकीय उपक्रमों को उनके द्वारा उत्पादित ब्राण्ड सामान विक्रय हेतु काउंटर आवंटन करने हेतु सवतंत्र होगा इसके लिए लाइसेंसी (निविदादाता) को किसी प्रकार की आपति नहीं होगी एवं न ही लाइसेंसी (निविदादाता) द्वारा एतराज किया जावेगा |

P.T.O.

MANAGER
R.T.D.C. LTD.
MIDWAY, BAR ...

34. सफल निविदादाता द्वारा लाइसेंसी फीस पेटे दिये गये मासिक अग्रिम चैकों में यदि किसी भी माह का अग्रिम बैंक द्वारा अनादरण कर लौटाया जाता है तथा मासिकं लाइसेंस फीस निगम कोष में जमा नहीं होती है तो विधिक कार्यवाही हेतु निगम स्वतंत्र है तथा समस्त प्रकियां पर होने वाले हर्जे -खर्चे के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा

35. निविदादाता द्वारा स्वंय निर्मित काउंटर को लगाये जाने तथा अनुबन्ध की अवधि के पश्चात् हटाया जायेगा समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा |

36. बिजली खर्चे (निविदादाता) द्वारा वहन किया जावेगा जो सब मीटर के अनुसार निर्धारित दर से वसूल किया जावेगा |

37. निगम हित में काउंटर स्थल में ईकाई परिसर में अन्यंत्र स्थान पर स्थानांतरण किये जाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे निविदादाता द्वारा मान्य होगा तथा स्थानान्तरण के लिए बाध्य होगा | स्थानान्तरण पर काउंटर से संबधित व्यय का काउंटर धारक द्वारा वहन किया जावेगा |

38. लाइसेंसी से यदि किसी प्रकार कि राशि बकाया है अथवा वसूल योग्य पाई जाती है तो लाइसेंसर को यह अधिकार होगा की वसूली योग्य राशि पी.डी.आर.एक्ट के तहत वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा | इसमें किसी प्रकार की लाइसेंसी की आपति मान्य नहीं होगी |

39. निगम द्वारा कभी भी अनुबन्ध को तीन माह के नोटिस पर निरस्त किया जा सकेगा जिसके लिए निविदादाता द्वारा कोई आपति नहीं की जावेगी तथा निगम काउंटर स्थल खाली करने का पूर्ण अधिकार होगा |

मैंने निविदा प्रपत्र कि निर्धारित समस्त शर्ते पढ़ ली है एवं मुझे सभी शर्ते मान्य है | मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है | यदि कोई जानकारी गलत साबित हुई तो मेरे टेन्डर फॉर्म निरस्त किया जा सकता है व् निगम को मेरी समस्त जमा राशि जब्त करने का अधिकार होगा जिसे मुझे कोई आपति नहीं होगी |

दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

पत्राचार का पूर्ण पता ....

....

निविदादाता का टेलीफ़ोन नंबर ....

निविदादाता का मोबाईल नंबर ....

MANAGER
R.T.D.C. LTD.
MIDWAY, BAR (BEAWAR)